

फर्द अहकाम

कार्यालय:-

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उदयपुर

अपीलार्थी:-

हरिश कृपलानी बनाम कमिश्नर, उदयपुर विकास प्राधिकरण

किस्म मुकदमा:-

प्रथम अपील पत्रावली संख्या:- 145/25 सन् 2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
---------	-----------------	---

28.08.2025

प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना चाहने हेतु सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 6(i) के अन्तर्गत कमिश्नर, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को एक आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2025 को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। परन्तु अपीलार्थी की अपील पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह सक्षम अपीलीय अधिकारी को ही अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर